

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संदर्भ- वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 11-16/2012/नियम/चार, दिनांक 24-12-2013.

---●●●---


संदर्भित ज्ञाप की कंडिका 2(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- (i). रूपये 7600 ग्रेड पे तक (छटवें वेतनमान में) वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रूपये 6.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।
- (ii). रूपये 8700 एवं रूपये 8900 ग्रेड पे में (छटवें वेतनमान में) वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रूपये 8.00 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।
- (iii). उपर्युक्त से अधिक ग्रेड पे में (छटवें वेतनमान में) वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रूपये 10 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों/शर्तों के अनुसार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के संबंध में पूर्व निर्देश/शर्तें संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगी ।

3/ वाहन किराये पर लेने संबंधी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


23/12/17
(पंकज अग्रवाल)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(विजय कठान)

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग